दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 09 फरवरी, *2010*

आप.अ. सं.19/2010

प्रदीप कुमार .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री चारू वर्मा, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री. एम.एन. डुडेजा, अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. संवाददाता को प्रेषित किया जाए या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए? हाँ

प्रदीप नंदराजोग न्या. (मौखिक)

1. सवेरे 5:45 बजे पीएस अलीपुर में डीडी सं. 52-बी के माध्यम से सूचना मिली कि

भक्तावरपुर रोड स्थित जे.बी.गुप्ता फार्महाउस में एक व्यक्ति फावड़े से घायल हो गया।

2. कांस्टेबल सूर्य प्रकाश के साथ, सहा.उप.नि. मोहर सिंह अभि.सा.-9 फार्महाउस के लिए निकले और उन्हें कोई नहीं मिला। पास के पुलिस पिकेट से एचसी दया चंद अभि.सा.-7 और कांस्टेबल अजीत अभि.सा.-8 ने उन्हें सूचित किया कि घायल को पीसीआर वैन में बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया है। वह अस्पताल पहुँचा और पाया कि राज कुमार नाम का व्यक्ति घायल हालत में भर्ती है और बयान देने की हालत में नहीं है। अस्पताल में उसकी मुलाकात सीता देवी अभि.सा.-14 और उसके नाबालिग बेटे ओम प्रकाश अभि.सा.-11 से हुई और उसने ओम प्रकाश का बयान प्रद. अभि.सा.-9/1 दर्ज किया जिसके अनुसार अपीलार्थी ने घायल पर हमला किया। बयान प्रद. अभि.सा.-9/1 पर पृष्ठांकन प्रद. अभि.सा.-9/2 करते हुए उसने कांस्टेबल सूर्य प्रकाश के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रुक्का भेजा। लगभग उसी समय घायल की मौत हो गयी। शव को शवगृह भेज दिया गया।

3. संदिग्ध हत्या का मामला होने के कारण, जाँच की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त थानाध्यक्ष यानी अभि.सा.-22 इंस्पेक्टर पी.सी. झा ने संभाली।

4. घटनास्थल पर आगे की जाँच सहा.उप.नि. मोहर सिंह और इंस्पेक्टर पी.सी. झा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। घटनास्थल यानी जे.बी.गुप्ता फार्महाउस पर लौटकर उन्होंने फार्महाउस के एक कमरे से एक फावड़ा, एक खून से सना हुआ गद्दा और खून से सनी हुई एक पैंट उठाई। फोटोग्राफर को बुलाया गया जिसने उस जगह की तस्वीरें लीं। अतिरिक्त थानाध्यक्ष ने मौका-ए-नक्शा तैयार किया।

5. चूँकि सीता देवी और ओम प्रकाश ने अपीलार्थी को हमलावर के रूप में नामित किया था, इसलिए उसकी तलाशी ली गई और अंततः उसे उसके कार्यस्थल पर पकड़ लिया गया।

6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला अपीलार्थी के कृत्य के संबंध में अभि.सा.-11 और अभि.सा.-14 की गवाही पर निर्भर था।

7. क्या अपीलार्थी का कृत्य धारा 302 या धारा 304 भाग I या धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध को दर्शाता है, यह मृतक के शव परीक्षण के संदर्भ में निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा बन गया है।

8. मृतक के शव का शव परीक्षण करने वाले डॉ.अनिल शांडिल अभि.सा.-13 ने निम्नलिखित 3 चोटों का उल्लेख किया: -

> "1. दाएँ कान के पिछले भाग से 5 से.मी. दूर बाह्य कर्ण क्षेत्र में टाँकें लगा हुआ घाव, जिसकी लम्बाई 4 से.मी. व तीन टाँके लगे हैं, टाँकें खोलने पर किनारे अत:क्षति युक्त अनियमित चीरा हुआ तथा किनारे पर सुख चुके रक्त व थक्कों से युक्त।
>
> 2. दाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 3.5 से.मी. लंबे टाँके लगे हुए घाव। टाँकें खोलने पर किनारे अत:क्षति युक्त अनियमित चीरा हुआ तथा किनारे सुख चुके रक्त व थक्कों से युक्त।
>
> 3. दाईं आँख काली (आँख के चारो ओर काला घेरा) चीरा लगाने पर नीचे के उत्तकों पर रक्त और थक्के फैले हुए हैं।

9. उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रद.अभि.सा.-13/क में इसे दर्ज किया और राय दी कि चोट 1 और 2 के परिणामस्वरूप खोपड़ी टूट गई। इसके परिणामस्वरूप अवदृढ़तानिकी और अवजालतनिका रक्तस्राव हुआ। मस्तिष्क क्षति के कारण मौत हुई थी। यह राय दी गई कि सभी चोटें मृत्युपूर्व की थीं और यह संभव है कि यह किसी कठोर कुंद वस्तु की हों।

10. विचारण में अभि.सा.-11 ओम प्रकाश और अभि.सा.-14 सीता देवी द्वारा सीता देवी और आरोपी के पिछले संबंधों के संदर्भ में दी गई गवाही में सामंजस्य था। दोनों की गवाही में यह बात समान थी कि सीता देवी के पति के उन्हें छोड़ने के बाद उसे एक कुकर फैक्ट्री में काम मिला, जहाँ अपीलार्थी उसका सहकर्मी था। अपीलार्थी की उससे मुलाकात होती रहती थी। पुत्र ओम प्रकाश अभि.सा.-11 ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अपीलार्थी लगभग 1½ साल तक उसकी माँ के साथ रहा था। दोनों ने आम तौर पर गवाही दी कि जब सीता देवी की बेटी शादी के लायक हो गई तो सीता देवी ने अपीलार्थी को घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन अपीलार्थी लगातार सीता देवी के घर जाता था।

11. 26.10.2005 की सुबह-सुबह जो कुछ हुआ, उसके संबंध में दोनों ने कहा कि सीता देवी जे.बी.गुप्ता फार्महाउस, ग्राम इब्राहिमपुर से घर नहीं लौटीं, जहाँ उसने कुछ दिन पहले काम करना शुरू किया था। अपीलार्थी ने सीता देवी के घर में रात बिताई और सुबह ओम प्रकाश से पूछा कि उसकी माँ वापस क्यों नहीं लौटी। ओम प्रकाश ने उसे यह बताया कि चूँकि फार्महाउस बहुत दूर था और उसका चचेरा भाई मनोज जो उसकी माँ को ले जाता था, नहीं आया है, शायद उसकी माँ फार्महाउस पर ही रुकी है। ओम प्रकाश और अपीलार्थी फार्म हाउस पहुँचे और एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। सीता देवी ने दरवाजा खोला। मृतक को अंदर देखकर, अपीलार्थी ने मृतक पर फावड़े से हमला किया,

जिसमें कुंद हिस्से का उपयोग किया गया, न कि धातु वाले हिस्से का। मृतक पर हमला करने के बाद वह भाग गया। जबकि ओम प्रकाश ने कहा कि वह पास के पुलिस पिकेट की ओर भागे, अभि.सा.-14 ने कहा कि दोनों पास की पुलिस पिकेट की ओर भागे और घटना के बारे में सूचित किया। पुलिस पिकेट पर एचसी दया चंद अभि.सा.-7 और कांस्टेबल अजीत अभि.सा.-8 ने कहा कि 26.10.2005 की सुबह लगभग 5:30 बजे माँ और बेटे ने पुलिस पिकेट पर आकर घटना की जानकारी दी थी। दोनों की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

12. यह स्पष्ट है कि न्यायालय में गवाही देते समय अभि.सा.-11 ने केवल पुलिस पिकेट में जाने के संबंध में एक छोटा सा दोष लगाया है। इस बात में कोई दम नहीं है।

13. न्यायालय में गवाही देते समय, अभि.सा.-11 ने कहा कि मृतक को पीसीआर वैन से अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। उसने इस बात से इनकार किया कि अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया गया। उसने कहा कि उसकी माँ अस्पताल नहीं गई।

14. लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि सीता देवी के अनुसार वह अस्पताल भी गई थी लेकिन पीसीआर वैन में नहीं क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। वह स्कूटर से गई थी। यह स्पष्ट है कि उक्त मुद्दे पर बच्चे और माँ ने एक-दूसरे का खंडन नहीं किया है।

15. उस मुद्दे पर जहाँ ओम प्रकाश का बयान प्रद. अभि.सा.-9/1 दर्ज किया गया था, ओम प्रकाश के यह कहने के बावजूद कि ऐसा कोई बयान अस्पताल में दर्ज नहीं किया गया था और उसका बयान फार्महाउस में दर्ज किया गया था, हम ध्यान देते हैं कि जब सहा.उप.नि.

मोहन सिंह अभि.सा.-9 ने गवाही दी कि उसने अस्पताल में ओम प्रकाश का बयान दर्ज किया था, तो प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त बयान को चुनौती नहीं दी गई।

16. उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते समय हमने माँ और बेटे की गवाही में थोड़ी भिन्नता देखी है, क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि ये महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं।

17. हम असहमत है। यह स्पष्ट है कि ये छोटे-छोटे अंतर हैं। इस बात पर गौर करना होगा कि जब ओम प्रकाश ने न्यायालय में गवाही दी तो उसकी उम्र 12 साल थी। इस प्रकार, जब अपराध किया गया तब वह 11 साल का था।

18. अभि.सा.-14 एक घरेलू सहायिका है। माँ और बेटा एक साधारण पृष्ठभूमि से हैं। वे गरीब लोग हैं। उनके बयानों को सड़क पर चलने वाले आम अल्पमति लोगों के बयानों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त किए गए बयानों के रूप में।

19. अपीलार्थी को झूठा फँसाने का माँ-बेटे का कोई मकसद सामने नहीं आया है।

20. पूर्वोक्त साक्ष्य से तथा इस तथ्य से कि जिसे एक ठोस प्रकृति की भिन्नता के रूप में उल्लिखित करने का प्रयास किया जा रहा था वह महत्वहीन निकला, सामना होने पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उस एकमात्र तर्क का अवलंब लिया जो विचार करने योग्य है।

21. इस तथ्य के संदर्भ में कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देखता है या अपनी प्रेमिका या जिससे वह प्यार करता है उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखता है, जुनून में आकर वह उस आदमी पर हमला करता है जो उसे अपनी प्रेमिका के साथ दिखा है और तथ्य यह है कि चोट पहुँचाने के लिए फावड़े के प्राणघातक हिस्से यानी धातु के टुकड़े वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया गया था और केवल 2 चोटें लगी थीं, विद्वान अधिवक्ता का आग्रह है कि यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी काबू में आ गया था, यदि गंभीर और अचानक उकसावे से नहीं, तो कम से कम भावनाओं के अचानक विस्फोट से और इस तथ्य पर विचार करके कि फावड़े के कुंद हिस्से का उपयोग हमला करने के लिए किया गया था, यह स्पष्ट है कि प्रतिशोध लेने और क्रोधित करने के लिए अपीलार्थी का इरादा केवल मृतक को चोट पहुँचाने का था और इससे अधिक नहीं।

22. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 2005 (9) एससीसी 650 *थंगैया बनाम त.ना राज्य* के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया जहाँ दाहिनी पार्श्विका क्षेत्र पर छड़ी से केवल एक चोट लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई थी; भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। जेटी 2008 (5) एससी 407 *केसर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य* के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में जहाँ सिर पर कुदाल के कुंद हिस्से से प्रहार किया गया था, वहाँ भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। एआईआर 1974 एससी 1351 *ठाकरदा लालजी*

गामाजी बनाम गुजरात राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में जहाँ सिर पर दराँती के कुंद हिस्से से दो प्रहार किए गए और अन्य प्रहार बाँह पर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप चोट लगने से कनपटी की हड्डियाँ टूट गईं और मस्तिष्क को क्षति पहुँची; यह ध्यान में रखते हुए कि चोट पहुँचाने के लिए दराँती के धारदार हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि उसके कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया गया था, भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

23. मौजूदा मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी कभी भी हथियारबंद नहीं था; अपीलार्थी सीता देवी को उसके घर वापस लाने के लिए ओम प्रकाश के साथ गया; सीता देवी को कमरे के अंदर मृतक के साथ देखकर सीता देवी के लिए प्रेमभाव रखने वाला अपीलार्थी गुस्सा हो गया और उसने मौके पर पड़े फावड़े को उठाया और उसके प्राणघातक हिस्से का नहीं बल्कि उसके गैरप्राणघातक हिस्से का इस्तेमाल किया, उपरोक्त 3 निर्णयों से मार्गदर्शन लेते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय है।

24. सजा के मुद्दे पर विद्वान अधिवक्ता का आग्रह है कि एआईआर 1998 एससी 1007 *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लखमी* के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए 6 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

25. हमने ध्यान दिया कि न्यायालयों का सामान्य रुख यह है कि भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी को 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जब तक कि इसे कुछ कम करने वाले कारक न हों।

26. उद्धृत निर्णय में, पीड़िता पत्नी थी। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी और अभि.सा.-2 के बीच कुछ कामोत्तेजक देखा था और इसके कारण उसका दिमाग अचानक ख़राब हो गया था; 6 साल की सजा सुनाई गई।

27. इस तरह का कोई सबूत नहीं है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने *लखमी* के मामले (पूर्वोक्त) में अपराध को उकसाने के लिए मृतक के कृत्य के नैतिक मूल्य के संदर्भ में सजा को कम करने के लिए पेश किया था।

28. हमारी राय में, 10 साल के लिए कठोर कारावास में रहने की सजा अपीलार्थी पर लगाई जाने वाली उचित सजा है।

29. अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित की जाती है। धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को संशोधित किया गया।

30. अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि अपीलार्थी दं.प्र.सं. की धारा 428 का लाभ पाने का हकदार है।

31. चूँकि अपीलार्थी जेल में है, इसलिए इस आदेश की एक प्रति अधीक्षक केंद्रीय जेल तिहाड़ को अपीलार्थी को देने के लिए भेजी जाए।

32. निष्कर्ष निकालने से पहले हम अपीलार्थी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता के लिए अपनी सराहना अभिलेख पर रखते हैं।

33. जनवरी 2010 के महीने में दायर की गई अपील और जिसे 12.1.2010 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए अविरत सहयोग और सहायता के कारण इसके दायर होने के केवल एक महीने के भीतर निर्णय लिया गया है।

(प्रदीप नंदराजोग)

न्यायाधीश

(सुरेश कैत)

न्यायाधीश

फरवरी 09, 2010

मि.मी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*